

प्रेषक,

अखिलेश अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 453 / रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 4.1.2017

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था०-412/2016-17 दिनांक-20.12.2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ० सदगुरु पुष्पम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, मुलतानीमल महाविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद।	राजनीति शास्त्र	का०सु०साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- स्था0-143(1)/सत्तर-3-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) कुलसचिव, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ/फैजाबाद।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ/लखनऊ।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुरितका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

अखिलेश अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 453 /स०उ०शि०प०/20
दिनांक 4.01.2017

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 22-दिसम्बर, 2016

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था०-399/2016-17 दिनांक-14.12.2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डॉ० प्रमिला तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान, दयानन्द गर्ल्स कालेज कानपुर।	मनो विज्ञान	महिला महाविद्यालय पी०जी० कालेज, लखनऊ।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- स्था०-139(1)/सत्तर-3-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (2) कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर/लखनऊ
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
- (5) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुरितका हेतु।

संयुक्त
R/A

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनु सचिव।